

नागर विमानन मंत्रालय
मांग संख्या 9
नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष	राजस्व पूँजी जोड़	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		18.02	458.00	476.02	7.15	686.00	693.15	23.75	694.00	717.75
		171.98	...	171.98	162.85	...	162.85	166.25	...	166.25
		190.00	458.00	648.00	170.00	686.00	856.00	190.00	694.00	884.00
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	8.03	8.03	...	13.37	13.37	3.85	17.67	21.52
नागर विमानन										
2. नागर विमानन महानिदेशक	3053	1.90	22.60	24.50	1.90	30.95	32.85	6.70	34.86	41.56
	5053	61.10	...	61.10	61.10	...	61.10	43.30	...	43.30
	जोड़	63.00	22.60	85.60	63.00	30.95	93.95	50.00	34.86	84.86
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	...	6.70	6.70	...	8.43	8.43	0.20	9.54	9.74
	5053	15.00	...	15.00	1.50	...	1.50	13.80	...	13.80
	जोड़	15.00	6.70	21.70	1.50	8.43	9.93	14.00	9.54	23.54
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के उसके हिस्से का भुगतान	3053	...	0.05	0.05	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
5. हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	413.00	413.00	...	620.00	620.00	...	620.00	620.00
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	60.44	...	60.44	62.62	...	62.62	49.58	...	49.58
	7053	15.44	...	15.44	17.63	...	17.63	39.57	...	39.57
	जोड़	75.88	...	75.88	80.25	...	80.25	89.15	...	89.15
7. अन्य व्यय	3053	16.12	3.80	19.92	5.25	8.12	13.37	13.00	6.00	19.00
	3601	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
	जोड़	16.12	3.85	19.97	5.25	8.17	13.42	13.00	6.05	19.05
अन्य परिवहन सेवाएं										
8. रेलवे सुरक्षा आयुक्त घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	3.81	3.81	...	5.11	5.11	...	5.91	5.91
	3075	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान										
9.01 पूर्वोत्तर-क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
कुल जोड़		190.00	458.00	648.00	170.00	686.00	856.00	190.00	694.00	884.00
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
6.01 भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि.	13053	...	5786.48	5786.48	...	4136.89	4136.89	...	8165.64	8165.64
6.02 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	95.88	3281.22	3377.10	100.25	2567.18	2667.43	99.15	3145.81	3244.96
6.03 पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	123.80	123.80	...	102.17	102.17	10.00	74.50	84.50
6.04 भारतीय होटल निगम	13053	...	15.00	15.00	...	10.00	10.00	...	15.00	15.00
6.05 एअर इंडिया चार्टर्स लि.	13053	...	634.50	634.50	...	503.82	503.82	...	573.81	573.81
जोड़		95.88	9841.00	9936.88	100.25	7320.06	7420.31	109.15	11974.76	12083.91
ग. आयोजना परिव्यय										
1. नागर विमानन	13053	170.00	9841.00	10011.00	150.00	7320.06	7470.06	170.00	11974.76	12144.76
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़		190.00	9841.00	10031.00	170.00	7320.06	7490.06	190.00	11974.76	12164.76

1. यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है। कुल गैर योजना बजटीय आवंटन में हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ईआरए) के लिए वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु 4 करोड़ रुपये शामिल है।
2. इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान नागर विमानन महानिदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में भारत के अंशदान के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है।
3. यह प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय, उपस्करों तथा सहायक उपकरणों की खरीद और कार्यालय भवन के निर्माण आदि से संबंधित सिविल कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।
4. यह प्रावधान सरकार द्वारा एकत्र किए जाने वाले विदेश यात्रा कर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को करने के लिए है। इस योजना को दिनांक 01-04-2001 से बन्द कर दिया गया है चूंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 1.4.2001 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) वसूल करने की अनुमति दी जा चुकी है। लंबित दावों, जिन्हें लेखों का समाशोधन न होने की वजह से पहले निपटारा नहीं जा सका, के लिए वर्ष 2009-10 में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।
5. यह प्रावधान हज संबंधी चार्टर विमानों के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि. को सब्सिडी का भुगतान किये जाने के लिए है।
6. इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया आवंटन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जम्मू तथा श्रीनगर हवाई अड्डों के उन्नयन तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न हवाईअड्डों, तथा जम्मू, श्रीनगर, लेह, पोर्टब्लेयर, अगाती और पांडिचेरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रचालनिक सुधार किये जाने के लिए है।
7. यह प्रावधान इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और एयरो क्लब ऑफ इंडिया को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए है।
8. इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान रेल संरक्षा आयोग, जो रेल यात्रा तथा प्रचालन में संरक्षा से संबंधित है और भारतीय रेल अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित विनिर्दिष्ट कतिपय सांविधिक कार्यकलापों को निष्पादित करता है, के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए है।
9. यह पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के हितार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान है।